अपर उपायुक्त–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(राजस्व शाखा)

अभिलेख संख्या–........23.......... / 2020.

जयन्त बिसवास, घाटशिला कॉलेज रोड, घाटशिला के द्वारा ई–मेल के माध्यम से पी०एच० राशन कार्ड से जनरल राशन कार्ड के संबंध में शिकायत प्राप्त है।

जयन्त बिसवास के आवेदन पत्र पर विशिष्ठ अनुभाजन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से जांच प्रतिवेदन मांगे।

4033
12/10/20

4261
31/10/20

(लेखापित),

(हस्ताक्षर) 15.10.20

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अभिलेख उपस्थापित

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 17/आपू० दिनांक 02/01/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। पी० एच० राशन कार्ड से जनरल राशन कार्ड में परिवर्तन करने से संबंधित है।

जिला आपूर्ति पदा० जम० के द्वारा पी०एच० राशन कार्ड से जनरल राशन कार्ड की कार्रवाई की गई है।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर) 14.1.21

अपर उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक–.....17...... / आ0

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

अपर उपायुक्त–सह–शिकायत निवारण पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जमशेदपुर, दिनांक–...02.../ 01 / 2021

विषय : पी0एच0 राशन कार्ड से जनरल राशन कार्ड करने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 4261 / रा0, दिनांक 31.10.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त आवेदनकर्ता श्री जयन्त कुमार विश्वास, घाटशिला कॉलेज रोड, घाटशिला के आवेदन पत्र में पी0एच0 राशनकार्ड संख्या अंकित नहीं है। इस संबंध में श्री विश्वास से मोबाईल पर राशन कार्ड संख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा राशन कार्ड संख्या उपलब्ध नहीं कराया जा सका। तत्पश्चात उनसे कथित पी0एच0 राशन कार्ड के सदस्यों का आधार संख्या की मांग की गई। उनके द्वारा श्रीमती मधुमिता विश्वास (माँ) का आधार संख्या उपलब्ध कराया गया, जिसका जाँचोपरान्त पाया गया कि इस आधार संख्या से किसी भी प्रकार का राशन कार्ड वर्तमान में मौजुद नहीं है। इस संबंध में आवेदनकर्ता श्री विश्वास को बताया गया कि वे सफेद राशन कार्ड के लिए विधिवत् ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। श्री विश्वास द्वारा सफेद राशन कार्ड हेतु आवेदन करने के पश्चात उनका सफेद राशन कार्ड बनाने की कार्रवाई की जायेगी।

प्रतिवेदन सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(राजस्व शाखा)

पत्रांकः— 4261/रा०

प्रेषक,

अपर उपायुक्त—सह—
शिकायत कोषांग,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

विशिष्ठ अनुभाजन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जमशेदपुर, दिनांक— 31 वीं अक्टूबर 2020

विषयः— पी०एच० राशन कार्ड से जनरल राशन कार्ड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है श्री जयन्त बिसवास, घाटशिला कॉलेज रोड, घाटशिला, जमशेदपुर के द्वारा प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

31.10.20

अपर उपायुक्त—सह—
शिकायत कोषांग,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत)–44 / 2020 – 882

प्रेषक,

नरेश प्रसाद केवट
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

अपर समाहर्ता–सह–जिला
शिकायत निवारण पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम।

राँची, दिनांकः– 30.12.2020

विषयः– **शिकायत सं0–182102000007 शिकायतकर्ता श्री जयंत विश्वास, प्रखण्ड–घाटशीला, जिला–पूर्वी सिंहभूम के शिकायत पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आयोग द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि ऑनलाईन आयोग के पोर्टल पर दिनांक–06.10.2020 को दर्ज शिकायत सं0–182102000007 शिकायतकर्ता श्री जयंत विश्वास, प्रखण्ड–घाटशीला, जिला–पूर्वी सिंहभूम के शिकायत पर अबतक आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण उक्त शिकायत लॉक कर दी गई है। ज्ञातव्य हो कि ससमय शिकायत पर सुनवाई न किया जाना खेद का विषय है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत में सामान्य राशन कार्ड बनाने हेतु अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त शिकायत को आपके स्तर से कार्रवाई हेतु आयोग द्वारा इसे पुनः अनलॉक किया जा रहा है। अनुरोध है कि विषयांकित मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–15 के तहत् विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित करते हुए मामले को निस्पादित करने तथा कृत कार्रवाई से आयोग को दिनांक–15.01.2021 तक अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

30/12/2020

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\HP\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx56

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(राजस्व शाखा)

पत्रांकः– 4037/रा०

प्रेषक,

अपर उपायुक्त–सह–
शिकायत कोषांग,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जमशेदपुर, दिनांक– 15वीं अक्टूबर 2020

विषयः– पी०एच० राशन कार्ड से जनरल राशन कार्ड के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जयन्त बिसवास, घाटशिला कॉलेज रोड, घाटशिला, जमशेदपुर के द्वारा प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

15.10.20

अपर उपायुक्त–सह–
शिकायत कोषांग,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।